



आयुक्तसीमाशुल्क (आयात-II) कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT - II)
 सीआरएआरएस, नवीनसीमाशुल्कभवन, वेल्डार्डइस्टेट, मुंबई-४००००९
 CRARS, New Customs House, Ballard Estate, Mumbai- 400 001
 Email-nch-import-crars@gov.in

फाइल सं./F. No: CUS/RFD/GENC/17/2025

20-03-2025

DIN No:- 2025037700000072027D

सार्वजनिक सूचना/PUBLIC NOTICE No. 37/2025

विषय : सीमाशुल्क में धन वापसी एप्लिकेशन और प्रक्रिया का ऑटोमेशन
 Subject: Automation of Refund Application and Processing in Customs.

सभी आयातकों/निर्यातकों/कस्टम ब्रोकर्स (सीबीएस) और सभी संबंधितों का ध्यान सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र संख्या 05/2025-सीमाशुल्क दिनांकित 17.02.2025 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो सीमाशुल्क में धन वापसी एप्लिकेशन और प्रसंस्करण के ऑटोमेशन के संबंध में है।

Kind attention of all the Importers/Exporters/Custom Brokers(CBs) and all concerned is invited towards the Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025 issued by CBIC regarding Automation of Refund Application and Processing in Customs.

2. पारदर्शिता बढ़ाने के लिए और धन वापसी के इलेक्ट्रॉनिक संवितरण के लिए, सीमाशुल्क धन वापसी एप्लिकेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया और संवितरण विकसित किया गया है और इसे सीमाशुल्क ऑटोमेशन प्रणाली पर सक्षम किया गया है।

To enhance transparency and for electronic disbursal of refunds, an online processing and disbursal of Customs duty refund application has been developed and is enabled on the Customs Automated System.

3. संदर्भ में आसानी के लिए, रिफंड की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग से संबंधित प्रमुख पहलुओं को सीबीआईसी के परिपत्र संख्या 05/2025-सीमा शुल्क दिनांक 17.02.2025 में विस्तृत रूप से बताया गया है, जिसे एफ.सं. 450/247/2023-सीयूएस IV के माध्यम से जारी किया गया है।

For ease of reference, the key aspects relating to the electronic processing of refund have been elaborated in the CBIC's Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025 issued vide F.No. 450/247/2023-Cus IV.

4. सभी आयातकों/निर्यातकों/सीबीएस और अन्य संबंधितों से अनुरोध है कि वे परिपत्र संख्या 05/2025-सीमाशुल्क दिनांकित 17.02.2025 में बताए गए प्रमुख महलुओं से स्वयं को अवगत कराएं।

All the Importers/Exporters/CBs and other concerned are hereby requested to apprise themselves of the key aspects as indicated in the Circular No. 05/2025-Customs dated 17.02.2025.

5. एक त्वरित उपाय के रूप में, आवेदक 31.03.2025 तक मैनुअल या ऑनलाइन रिफंड दाखिल कर सकता है। हालाँकि, 31.03.2025 के बाद कोई भी मैनुअल धन वापसी एप्लिकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि सीमाशुल्क के प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा लिखित रूप में इसकी अनुमति न दी जाए।

As a transitional measure, applicant may file refund either manually or online till 31.03.2025. However, no manual refund application shall be accepted after 31.03.2025, unless the same is allowed by the Pr. Commissioner/Commissioner of Customs, for the reasons to be recorded in writing.

6. सभी आयातकों/निर्यातकों/सीबीएस और अन्य संबंधितों से अनुरोध है कि वे अपने सभी आगामी धन वापसी दावे केवल ऑनलाइन (आईसीईगेट पोर्टल) मोड के माध्यम से ही दाखिल करें, क्योंकि 31.03.2025 के बाद बिना किसी वैध कारण के कोई भी मैनुअल धन वापसी एप्लिकेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

All the Importers/Exporters/CBs and other concerned are hereby also requested to file all their future refund claims through online (ICEGATE Portal) mode only as no manual refund application shall be accepted after 31.03.2025 without any valid or plausible reason.

7. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को कार्यालय के ध्यान में लाया जाए।

Any difficulty noticed in the implementation of this Public Notice may be brought to the notice of this office.

Signed by
Commissioner of Customs,
CRARS, Import-II, Zone-I
Phya Gde,
NCH, Mumbai.
Date: 20-03-2025 18:22:40

Copy To:

1. ADC, CCO, Zone-I, NCH.
2. Pr. Commissioner of Customs(General), Zone-I, NCH.
3. Brihanmumbai Customs Brokers Association(BCBA).
4. DC/EDI, NCH for uploading on Zone-I Website.